



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

बिहार

अप्रैल

(संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

➤ बिहार में 2023-24 में कर संग्रह में 18% की वृद्धि दर्ज की गई	3
➤ बिहार को NABARD द्वारा वित्तीय सहायता	3
➤ SJVN ने IIT पटना के साथ साझेदारी की	4
➤ केंद्र का लक्ष्य गेहूँ खरीद में सात गुना बढ़ोतरी	5
➤ वर्ष 2047 लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह	6
➤ पटवा टोली: बिहार में आईआईटीयंस का गाँव	7
➤ वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु धनराशि वितरण	7
➤ केसरिया स्तूप	8
➤ स्टॉक एक्सचेंज में बिहार से कोई विनिर्माण इकाई नहीं	9
➤ बिहार में हीटवेव के दौरान मतदान	9
➤ बाल तस्करी	11
➤ बिहार: आकाशीय बिजली/तड़ित गिरने से सबसे ज्यादा मौतें	11

बिहार

बिहार में 2023-24 में कर संग्रह में 18% की वृद्धि दर्ज की गई

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्यिक कर विभाग ने वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में 18.13% की वृद्धि देखी है।

मुख्य बिंदु:

- विभाग ने मार्च में राज्य में 1,058 करोड़ रुपए का GST संग्रह किया, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है।
- मार्च में एकत्रित 5,403.15 करोड़ रुपए का मासिक कुल राजस्व अब तक किसी भी महीने में सबसे अधिक है।
- राज्य ने वर्ष 2023-24 में GST और अन्य करों में कुल 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया, जबकि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 34,541 करोड़ रुपए था।
- विभाग के अनुसार, सेवा क्षेत्र, GST ऑडिट, मुद्दा-आधारित निर्णय और कर चोरी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया गया।
- पंचायत स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) के दायरे में लाया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- यह एक बहु-विषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच का अधिकार है।
- यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानूनों के कड़ाई से अनुपालन में कार्य करता है।

बिहार को NABARD द्वारा वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

- यह NABARD द्वारा राज्य को एक वर्ष में अब तक दी गई सबसे अधिक वित्तीय सहायता है और पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- पुनर्वित्त को उत्पादन ऋण, निवेश ऋण और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) तथा सहकारी बैंकों के धान खरीद कार्यों हेतु बढ़ाया गया था, जबकि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये राज्य सरकार को प्रत्यक्ष वित्त सहायता दी गई थी।
- ◆ किसान उत्पादक संगठनों (FPO), वाटरशेड विकास, जनजातीय विकास, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम, कौशल और उद्यम विकास, वित्तीय साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में

विकासात्मक पहल के लिये विभिन्न एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
- RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
- RRB ग्रामीण समस्याओं से परिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करते हैं।

सहकारी बैंक

- यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।
- ये सहकारी ऋण समितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं:
 - ◆ बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
 - ◆ बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
- वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ

- PACS सहकारी समितियाँ हैं जो अपने सदस्यों, जिनमें अधिकतर किसान हैं, को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के ज़मीनी स्तर के संस्थान हैं।
- PACS को कंप्यूटरीकरण, बहुसेवा, विद्युत, जल, दवाओं के वितरण और सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के रूप में सेवाएँ प्रदान करके परिवर्तित किया जा रहा है।

SJVN ने IIT पटना के साथ साझेदारी की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में SJVN लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- पटना (IIT पटना) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे समय और लागत में काफी कमी आएगी।

मुख्य बिंदु:

- इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों में से एक प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम का विकास होगा।

- ◆ ये एल्गोरिदम एकीकृत भू-तकनीकी डेटा का लाभ उठाकर **संभावित जोखिमों** का पहले से अनुमान लगाएंगे और विशेष रूप से सुरंग परियोजनाओं के लिये तैयार की गई **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करेंगे**।
- ◆ इस तरह के सक्रिय उपायों से परियोजना कार्यान्वयन के दौरान **समय और लागत में काफी कमी** होने की आशा है।
- MoU की प्राथमिकता अत्याधुनिक कार्यप्रणाली विकसित करना है जो विविध भू-तकनीकी डेटा स्रोतों को एकीकृत करती है।
- ◆ इनमें **SJVN की परियोजनाओं से संबंधित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बोरहोल डेटा, भूभौतिकीय माप और निगरानी डेटा** शामिल होंगे।
- इस सहभागिता का उद्देश्य ओवरबर्डन व डिफॉर्मेशन (विरूपण) के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करना भी है, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिये महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के मूल्यांकन और डिजाइन को संवर्द्धित किया जा सके।
- ◆ एकीकृत भू-तकनीकी डेटा और 3D भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके, SJVN तथा IIT- पटना का लक्ष्य संभावित **जोखिमों व खतरों की पहचान करना एवं उनका विश्लेषण करना है**।

सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN लिमिटेड)

- यह एक **भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम** है जो जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन में शामिल है।
- इसे वर्ष 1988 में **नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन** के रूप में शामिल किया गया था, जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम था।

केंद्र का लक्ष्य गेहूँ खरीद में सात गुना बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूँ की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है तथा वर्ष 2024-25 में इस खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय रिजर्व में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया।
- केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित कुल गेहूँ खरीद लक्ष्य 310 लाख टन का 16% खरीदने का निर्णय लिया है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर गेहूँ की खरीद आम तौर पर केंद्र की नोडल एजेंसी **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है।
- **नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)** और **नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF)** को भी वर्ष 2024 में 5-5 लाख के खरीद लक्ष्य में शामिल किया गया है।
- ◆ वर्ष 2024 के लिये गेहूँ का MSP 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
- सूत्रों के अनुसार, गैर-पारंपरिक राज्यों से गेहूँ खरीद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूँ का आवंटन बहाल करने में मदद मिलेगी।
- **गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूँ खरीद को मजबूत करने के लिये उठाए गए कदम:**
 - ◆ खरीद विंडो को **मार्च के बजाय अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है** और खरीद से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिये एक समर्पित किसान हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
 - ◆ सरकार ने 48 घंटों के भीतर **किसानों के बैंक खातों में MSP का हस्तांतरण सुनिश्चित करने**, किसानों के लिये खरीद के आकस्मिक बोझ को सुव्यवस्थित करने, बैंक खातों के साथ **आधार एकीकरण** जैसे बैंकिंग से संबंधित मुद्दों को सुचारु करने का निर्णय लिया है।
 - ◆ सरकार ने उत्पादन हॉटस्पॉट को लक्षित करते हुए अधिक खरीद केंद्र भी खोले हैं, **मोबाइल खरीद केंद्र स्थापित किये हैं और स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों** का लाभ उठाने का निर्णय लिया है।
 - ◆ रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिये दिल्ली में FCI मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से छह लाख टन गेहूँ खरीदा जा चुका है।
- सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये मई 2022 से गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार, गेहूँ का उत्पादन वर्ष 2023-24 के दौरान 112 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022 में यह 110 मिलियन टन था।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)

- यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है।
- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।
- NAFED अब भारत में कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है।

वर्ष 2047 लक्ष्य हेतु युवा पेशेवरों से आग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

- वह बिहार में IIM बोधगया के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा दिमाग और छात्र भारत के भविष्य के पथप्रदर्शक हैं तथा उन्होंने युवा छात्रों से भारत की विकास गाथा में एक नया अध्याय लिखने के लिये अपने कौशल एवं प्रतिभा का उपयोग करने की अपील की।
- उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में MBA के छात्रों को डिग्री प्रदान की।
- उपराष्ट्रपति ने बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का भी दौरा किया और पूजा-अर्चना की।

महाबोधि मंदिर

- यह भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान (बोधि) की प्राप्ति से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है।
- ◆ अन्य तीन हैं: नेपाल में लुंबिनी (जन्म), उत्तर प्रदेश में सारनाथ (धर्म-चक्र-प्रवर्तन - पहला उपदेश) और कुशीनगर (महापरिनिर्वाण-मृत्यु)।
- इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। हालाँकि, गुप्त काल के अंत में इसका पुनर्निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया था। वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं या 6वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है।
- इसे वर्ष 2002 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी।



विज्ञान इंडिया@2047

- विज्ञान इंडिया@2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिये भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक **नीति आयोग** द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।
- परियोजना का लक्ष्य भारत को **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है जो मानव विकास और सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा तथा पर्यावरणीय संवहनीयता का प्रबल पक्षसमर्थक होगा।**

पटवा टोली: बिहार में आईआईटीयंस का गाँव

चर्चा में क्यों ?

बिहार में, **पटवा टोली** नाम का एक गाँव लगातार एक दर्जन से अधिक आईआईटीयन का मूल होने के कारण 'आईआईटी फैक्ट्री' के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।

- गया में स्थित इस गाँव में बड़ी संख्या में IIT क्वालिफायर हैं और लगभग हर घर में एक इंजीनियर है।
- मुख्य बिंदु:
 - **वृक्ष (Vriksha)** एक संगठन है, जो वर्ष 2013 से **JEE मेन परीक्षा** के लिये **निःशुल्क कोचिंग प्रदान** कर रहा है।
 - ◆ **IIT स्नातकों द्वारा वित्त पोषित यह पहल छात्रों को प्रमुख शिक्षकों द्वारा संचालित इंजीनियरिंग पुस्तकों और ऑनलाइन कक्षाएँ प्रदान** करती है
 - ◆ आर्थिक रूप से वंचित छात्रों का समर्थन करने के लिये **वृक्ष वेद चैन** ने दिल्ली और मुंबई के स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से **निःशुल्क शिक्षा की पेशकश करने वाला एक पुस्तकालय मॉडल स्थापित किया।**
- पटवा टोली के आईआईटी क्वालिफायर की सफलता की कहानी **वर्ष 1991 से शुरू हुई**, जिसने गाँव में IIT क्वालीफाई करने की आकांक्षाओं को जागृति दी थी।
- यह क्षेत्र शुरुआत में वस्त्र बुनाई के इतिहास के कारण '**बिहार का मैनचेस्टर**' के रूप में जाना जाता था, पटवा टोली ने अब अपनी उल्लेखनीय शैक्षिक उपलब्धियों के लिये '**आईआईटीयंस के गाँव**' का नाम अर्जित किया है।
- ◆ इंजीनियरों और चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने की समृद्ध विरासत के साथ, पटवा टोली **शिक्षा एवं सामुदायिक समर्थन की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में स्थापित हुआ है।**

वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु धनराशि वितरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्य सरकार ने **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** या **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिये 250 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की है।

मुख्य बिंदु:

- RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकित वंचित और कमजोर वर्ग के प्रत्येक बच्चे को **450 रुपए का मासिक बजट आवंटन** मिलेगा।
- इस पहल का उद्देश्य **इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना** और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।
- RTE अधिनियम के अनुपालन में, 35,666 छात्रों की आकांक्षाएँ पूरी हो गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक संख्या **लखनऊ ज़िले** से है, क्योंकि वे निजी स्कूलों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
- शिक्षण शुल्क को कवर करने के अलावा, सरकार पुस्तकों, नोटबुक और पोशाक जैसी **शैक्षिक सामग्री के लिये प्रति बच्चे को सालाना 5,000 रुपए** भी प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक पहल

- **अटल आवासीय विद्यालय योजना:** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिये यह पहल शुरू की गई। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 16 वर्ष की आयु के बीच के दो बच्चों को समर्पित स्कूलों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्राप्त होती है।
- **महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना (MVSPKDPY):** वर्ष 2022 में शुरू की गई, निर्माण श्रमिकों की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल है।
- **SC/ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम हाशिये पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्त्व पर आधारित है और इसका उद्देश्य वित्तीय अंतर को समाप्त करना है जो अन्यथा उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा बन सकता है।


केसरिया स्तूप

चर्चा में क्यों ?

केसरिया स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर केसरिया में स्थित है।

मुख्य बिंदु:

- स्तूप का पहला निर्माण ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का माना जाता है। मूल केसरिया स्तूप संभवतः **अशोक के समय (लगभग 250 ईसा पूर्व)** का है, क्योंकि अशोक के एक स्तंभ की राजधानी के अवशेष वहाँ खोजे गए थे।
- वर्तमान स्तूप 200 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश का है तथा संभवतः चौथी शताब्दी के शासक राजा चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है।
- स्तूप टीले का उद्घाटन बुद्ध के समय में भी किया गया होगा क्योंकि यह कई मायनों में वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बुद्ध द्वारा दिये गए भिक्षापात्र को रखने के लिये बनाए गए स्तूप के वर्णन से मेल खाता है।
- ◆ प्राचीन काल में केसरिया मौर्य और लिच्छवियों के शासन के अधीन था।
- प्राचीन काल में दो महान विदेशी यात्रियों, फैक्सियन (फाह्यान) और जुआन जांग (ह्वेन त्सांग) ने इस स्थान का दौरा किया था तथा उन्होंने अपनी यात्राओं के दिलचस्प एवं जानकारीपूर्ण विवरण छोड़े हैं।
- **कुषाण वंश (30 ईस्वी से 375 ईस्वी)** के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क की मुहर वाले सोने के सिक्कों की खोज केसरिया की प्राचीन विरासत को और स्थापित करती है।
- इसकी खोज वर्ष 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में इसकी खोज के बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुई थी।
- बाद में, वर्ष 1861-62 में जनरल कनिंघम द्वारा इसकी खुदाई की गई और वर्ष 1998 में पुरातत्वविद के.के. मुहम्मद के नेतृत्व में एक ASI टीम ने इस स्थल की उचित खुदाई की थी।



स्टॉक एक्सचेंज में बिहार से कोई विनिर्माण इकाई नहीं

चर्चा में क्यों ?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 66.5 लाख से अधिक पंजीकृत निवेशक हैं। देश के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, बिहार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक भी विनिर्माण इकाई नहीं है।

मुख्य बिंदु:

- BSE के डेटा से पता चलता है कि, हालाँकि BSE पर पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा केवल 2.65% है लेकिन पिछली तिमाही में इसमें 10% से अधिक और वर्ष 2023 में 47% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
- बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले, इस क्षेत्र में कृषि-आधारित तथा उपभोक्ता-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एक संपन्न खनिज एवं विनिर्माण क्षेत्र भी शामिल था।
 - ◆ अलग होने के बाद बिहार ने स्वयं को मुख्य रूप से कृषि और उपभोक्ता-केंद्रित उद्योगों पर निर्भर पाया। इस परिवर्तन का बिहार के आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
 - ◆ एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र की अनुपस्थिति, आवश्यक संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की राज्य की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
- उद्योग को आकर्षित करने के लिये, वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने पटना में बिहार बिज़नेस कनेक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जहाँ 50,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
 - ◆ सरकार ने कपड़ा, चमड़ा, IT/ITeS एवं ESDM, खाद्य प्रसंस्करण और आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्रों में अवसर दिखाए।
- बिहार नकारात्मक रूढ़ियों और गलत धारणाओं से ग्रस्त है जो संभावित निवेशकों को रोकते हैं। जागरूकता अभियानों में शामिल होकर रोड शो आयोजित करना और CII जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाना धारणाओं को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शेयर बाज़ार

- शेयर बाज़ार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं।
- शेयर बाज़ार एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था के घटक हैं क्योंकि वे निवेशक व्यापार और पूंजी के आदान-प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुँच को सक्षम करते हैं।
 - ◆ मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी विनियमन के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति तथा मांग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange- BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- NSE)।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति बाज़ार का नियामक है। वह कानूनी ढाँचा निर्धारित करता है और बाज़ार संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को विनियमित करता है।
 - ◆ प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम (Securities Contracts Regulation Act- SCRA) ने SEBI को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और फिर कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है; यह कार्य पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था।

बिहार में हीटवेव के दौरान मतदान

चर्चा में क्यों ?

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के चार संसदीय क्षेत्रों के कुछ भाग में मतदान की अवधि दो घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये राज्य के **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** ने हीटवेव के कारण मतदान का समय बढ़ाने का फैसला किया है।
- यह निर्णय 19 अप्रैल को शुरुआती दौर के मतदान के दौरान तुलनात्मक रूप से कम मतदान के बाद लिया गया है।

हीटवेव:

- इस **भीषण ग्रीष्म अवधि** में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत, एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण, विशेष रूप से हीटवेव के प्रति संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में अधिक और तीव्र हो गई है।
- **भारत में हीटवेव घोषित करने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मानदंड:**
 - ◆ जब तक किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों के लिये कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हीटवेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
 - ◆ यदि किसी क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है, तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
 - इसके अलावा, सामान्य तापमान से 7 डिग्री या उससे अधिक की वृद्धि को हीटवेव माना जाता है।
 - ◆ यदि किसी क्षेत्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो सामान्य तापमान 4°C से 5°C की वृद्धि को गर्मी की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, 6°C या इससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव माना जाता है।
 - ◆ इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या इससे अधिक रहता है, तो हीट वेव घोषित की जाती है।

Heat wave Scenario	40°C	30°C
Maximum Temperature	Plains	Hills
Heat wave conditions prevail when...	Severe heat wave conditions prevail when....	
Normal maximum temperature	Normal maximum temperature	Normal maximum temperature
Deviation from normal	Deviation from normal	Deviation from normal
Above	Above	Above
40°C	40°C	6°C or more
At or below	At or below	At or below
40°C	40°C	7°C or more
4-5°C or more		5-6°C or more

बाल तस्करी

चर्चा में क्यों ?

कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया।

- धर्म के नाम पर चंदा कमाने के लिये बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर मदरसों में रखना संविधान का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदु:

- जिन बच्चों को बचाया गया उनकी उम्र 4-12 वर्ष के बीच थी। इस घटना ने बाल तस्करी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक, भारत के संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है। प्रत्येक बच्चे के लिये स्कूल जाना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) की स्थापना वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
- आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child- UNCRC) में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं।

बाल तस्करी (Child Trafficking)

- यह घरेलू श्रम, उद्योगों में बलात् बाल श्रम और भीख मांगने, अंग व्यापार एवं व्यावसायिक यौन उद्देश्यों जैसी अवैध गतिविधियों के रूप में उजागर होता है।
- वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) ने एक चौंका देने वाला आँकड़ा प्रस्तुत किया: भारत में हर दिन औसतन आठ बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। इन मामलों में शोषण के विभिन्न रूप शामिल थे, जिनमें बलात् श्रम, भीख मांगना और यौन शोषण शामिल था।
- ये आँकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिनमें वर्ष 2018 में 2,834 मामले, वर्ष 2019 में 2,914 मामले और वर्ष 2020 में 2,222 मामले दर्ज किये गए।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आँकड़े लापता बच्चों के मामलों को छोड़कर, केवल पुष्टि किये गए तस्करी के मामलों के हैं।
- समस्या का वास्तविक दायरा इन आँकड़ों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है।

बिहार: आकाशीय बिजली/तड़ित गिरने से सबसे ज्यादा मौतें

चर्चा में क्यों ?

बिहार में आकाशीय बिजली/तड़ित गिरने से होने वाली मौतों के एक नए अध्ययन से पता चला है कि राज्य में शिवहर, बाँका, कैमूर और किशनगंज जिले इस प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे संवेदनशील थे, जहाँ प्रति मिलियन जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई।

- अध्ययन में वर्ष 2017-2022 की अवधि के आँकड़ों की जाँच की गई और पाया गया कि आकाशीय बिजली गिरने से 1,624 लोगों की मौत हो गई तथा 286 घायल हो गए।

मुख्य बिंदु:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार, लगभग सभी 1,624 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं और इनमें से अधिकतर मृत्यु और हताहत की संख्या, लगभग 76.8%, दोपहर 12:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुईं।

- ◆ अध्ययन में 1,577 मौतों के लिये लिंग-पृथक डेटा की पहचान की गई। इन 1,577 मौतों में से 1,131 (71%) पुरुष थे। 11-15 वर्ष और 41-45 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण पुरुष विशेष रूप से असुरक्षित थे।
- ◆ छह वर्ष की अध्ययन अवधि के दौरान बिहार में प्रत्येक वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से औसतन 271 लोगों की मौत हुई और 57.2 लोग घायल हुए।
- ◆ राज्य की प्रति मिलियन वार्षिक दुर्घटना दर 2.65, राष्ट्रीय औसत 2.55 से अधिक थी।
- ◆ मई से सितंबर के बीच की अवधि आकाशीय बिजली गिरने के मामले में चरम पर थी और जून-जुलाई में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली 58.8% मौतें हुईं।
- शोधकर्ताओं ने बताया कि जून और जुलाई में मानसूनी धारा शुरू होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच जाती हैं, जो मुख्य रूप से पूर्वी तथा पश्चिमी पवनों के संपर्क के कारण होती हैं।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, बादल से जमीन पर आकाशीय बिजली गिरने से प्रत्येक वर्ष हज़ारों लोगों की जान चली जाती है और आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों के मामले में बिहार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ शीर्ष तीन सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है।
- मैदानी क्षेत्र में तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना रहती है क्योंकि उत्तर-पश्चिम भारत की गर्म, शुष्क पवन बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नम हवा के साथ मिलती है, जिससे गहरे संवहन बादलों के निर्माण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं।
- उत्तर पश्चिम बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ कम होती हैं लेकिन हताहतों की संख्या अधिक होती है। बिहार के ये हिस्से शहरीकृत नहीं हैं और कृषि क्षेत्रों के आस-पास आश्रय घनत्व कम हो सकता है। ऐसे प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करने में सामाजिक-आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- आकाशीय बिजली गिरने की खतरे की संभावना एक समान नहीं है। स्थलाकृति, ऊँचाई और स्थानीय मौसम संबंधी कारक आकाशीय बिजली गिरने के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं।
- अधिक नमी के कारण पूर्वी क्षेत्र में आकाशीय बिजली की अधिक आवृत्ति देखी जाती है।
- नीति निर्माताओं के लिये भेद्यता और हॉटस्पॉट का आकलन करना व शमन उपायों को डिज़ाइन करना महत्वपूर्ण है।

पछुआ पवन

- वे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर बढ़ती हैं और 35° से 60° अक्षांशों के बीच प्रबल होती हैं।
- ये स्थायी होती हैं लेकिन सर्दियों के दौरान अधिक तीव्र होते हैं। ये गर्म और नम पवन को ध्रुव की ओर ले जाती हैं।
- पछुआ पवन उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों के साथ फ्रंट्स के निर्माण का कारण बनती है और चक्रवातों को पश्चिमी सीमा की ओर ले जाती है।

